न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्र0सं0 97/2022

1. इन्द्र कुमार पुत्र हरकिशन जाति अग्रवाल सरावगी–मृतक
1/1 सुलोचना सरावगी पत्नि स्व. इन्द्र कुमार जाति अग्रवाल सरावगी
1/2 अश्वनी सरावगी पुत्र स्व0 इन्द्र कुमार जाति अग्रवाल सरावगी
1/3 चेष्टा सरावगी पुत्री स्व0 इन्द्र कुमार जाति अग्रवाल सरावगी
2. विमला देवी धर्मपत्नि शंकरलाल जाति अग्रवाल सरावगी
3. कालूराम पुत्र हरकिशन जाति अग्रवाल सरावगी
4. उमादेवी पत्नि दीनदयाल जाति अग्रवाल सरावगी
निवासीयान वार्ड नं. 18 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर

अपीलांटस

बनाम

1 स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. छज्जूराम पुत्र श्री भगतराम जाति खे निवासी नकोदर, जिला जालंधर, हाल निवासी 11 टीके तहसील रायसिंहनगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उपतहसीलदार, मुकलावा दिनांक 28.08.2014 को निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित : 1. श्री तेजा सिंह संधू अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री गुरजीतसिंह राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश **दिनांक : 11.01.2023**

अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु. नं. 43 पत्थर नंबर 204/296 में अपीलांट संख्या 1/1 से 1/3 की किला नंबर 1 में 0.190 हैक्टेयर , किला नं. 2/1 में 0.126 हैक्टेयर अपीलांट संख्या 2 की किला नंव 23, 24, 25, अपीलांट संख्या 3 की किला नं. 16 ता. 20 व अपीलांट संख्या 4 की किला न. 11 व 12 में भूमि जरिये बैयनामा गंगादेवी, सरस्वती व बृजलाल वगैरह से विभिन्न तारीखों में खरीद की थी जिसका बैयनमा अपीलांटा संख्या 1/1 से 1/4 के पिता श्री इन्द्र कुमार व विमला देवी, उमादेवी व कालूराम के नाम से वर्ष 1981 में व दिनांक 16.04.1994 के नाम से किया गया था जिसकी पालना में अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 के पिता तथा अपीलांट संख्या 2 ता. 4 के नाम से जमाबंदी में भी इतंकाल दर्ज हो गया था। खरीद के रोज से काश्त की जा रही थी और कुछ भूमि नगरपालिका से चिपती है उसके नगरपालिका ने भूमि के व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु. नं. 43 पत्थर नंबर 204/296 में अपीलांट संख्या 1/1 से 1/3 की किला नंबर 1 में 0.190 हैक्टेयर , किला नं. 2/1 में 0.126 हैक्टेयर अपीलांट संख्या 2 की किला नंव 23, 24, 25, अपीलांट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

संख्या 3 की किला नं. 16 ता. 20 व अपीलांट संख्या 4 की किला न. 11 व 12 में भूमि जरिये बैयनामा गंगादेवी, सरस्वती व बृजलाल वगैरह से विभिन्न तारीखों में खरीद की थी जिसका बैयनमा अपीलांटा संख्या 1/1 से 1/4 के पिता श्री इन्द्र कुमार व विमला देवी, उमादेवी व कालूराम के नाम से वर्ष 1981 में व दिनांक 16.04.1994 के नाम से किया गया था जिसकी पालना में अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 के पिता तथा अपीलांट संख्या 2 ता. 4 के नाम से जमाबंदी में भी इतंकाल दर्ज हो गया था। खरीद के रोज से काश्त की जा रही थी और कुछ भूमि नगरपालिका से चिपती है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 28.08.2014 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमायी जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को दिनांक 24.11.2022 को रजिस्ट्री द्वारा तामील करवाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 25.08.2014 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन इतंकाल संख्या 565 उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय की पालना में दर्ज किया गया है। अपीलांटस द्वारा मूल आदेश की अपील न करके अपीलाधीन इंतकाल को चुनौती दी गयी है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित अपीलाधीन इतंकाल सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2014 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर